

**UTTAR PRADESH SHASAN
NAGAR VIKAS ANUBHAG-2**

In the pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 402 /9-2-2023-08(Seema Vistar)/22, dated March 20, 2023.

NOTIFICATION

No.- 402 /9-2-2023-08(Seema Vistar)/22

Lucknow; Dated: March 20, 2023.

WHEREAS in exercise of the powers under sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act No.2 of 1916) (hereinafter referred to as the "aforesaid Act") the Notification No.892/9-2-2022-08(Seema Vistar)/22, with regard to the Extension of Municipal area of Nagar Palika Parishad Baghpat, District Baghpat was issued on August 26, 2022 and after considering objections received in pursuance of the notification, the final Notification No.1174/9-2-2022-08(Seema Vistar)/22 was issued on September 21, 2022 ;

AND WHEREAS, Hon'ble High Court Allahabad has passed an order dated 07.12.2022, in Writ Petition No.-Writ C-33578/2022, Sonu Vs State of Uttar Pradesh and 02 others, quashing the effect and implementation of the Notification dated September 21, 2022; Extending the limits of Nagar Palika Parishad, Baghpat in District Baghpat;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 3 of the aforesaid Act, Notification No.892/9-2-2022-08(Seema Vistar)/22, August 26, 2022 and the Final Notification No.1174/9-2-2022-08(Seema Vistar)/22, September 21, 2022 with regard to the extension of the Municipal area of Nagar Palika Parishad, Baghpat in District Baghpat is hereby rescinded.


(Amrit Abhijat)
Principal Secretary

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-2
संख्या-402/9-2-2023-08(सीमा विस्तार)/22
लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2023

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-2 सन्-1916) की धारा 3 ख की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा नगर पालिका परिषद बागपत, जिला बागपत, के नगर निकाय क्षेत्र के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अनन्तिम अधिसूचना संख्या-892/9-2-2022-08(सीमा विस्तार)/22, दिनांक 26.08.2022 निर्गत की गयी थी एवं तत्कम में प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कराते हुए अन्तिम अधिसूचना संख्या-1174/9-2-2022-08(सीमा विस्तार)/22, दिनांक 21.09.2022 निर्गत की गयी थी।

और चूँकि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-रिट सी-33578/2022, सोनू बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 द्वारा नगर पालिका परिषद बागपत, जिला-बागपत के नगर निकाय क्षेत्र के सीमा विस्तार सम्बन्धी अन्तिम अधिसूचना संख्या-1174/9-2-2022-08(सीमा विस्तार)/22, दिनांक 21.09.2022 निरस्त किया गया है।

अतएव, अब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद, बागपत, जिला-बागपत के नगर निकाय के क्षेत्र के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित करने हेतु शासन द्वारा निर्गत अनन्तिम अधिसूचना संख्या-892/9-2-2022-08(सीमा विस्तार)/22, दिनांक 26.08.2022 एवं तत्कम में निर्गत अन्तिम अधिसूचना संख्या-1174/9-2-2022-08(सीमा विस्तार)/22, दिनांक 21.09.2022 को एतद्वारा निरस्त की जाती है।


(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना (अंग्रेजी प्रारूप सहित) को दिनांक-20 मार्च, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 25 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- राज्य निर्वाचन आयुक्त/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- मण्डलायुक्त मेरठ।
- 4- जिलाधिकारी बागपत।
- 5- सम्बन्धित निकाय को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त अधिसूचना/आदेश को अपने कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर लगवायें तथा व्यापक प्रचार करायें।

आज्ञा से,



(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।